न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 29/2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/136

1. जीवा बाई पत्नी प्रेमाराम जाति नायक निवासी चक 23 ए(ए) तहसील व जिला अनूपगढ़

–अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ राज.

–प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री साहबराम, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 30.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. अपीलार्थी के द्वारा यह अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 13.05.2024 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक चक 23ए ए के प.नं. 322/452 कि.नं. 21/3, 22/2, 23/1, 24/2, 25/1 प्रत्येक की 0.025है. कुल 0.125है. गै.मु. रास्ते की भूमि पर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए अपीलार्थी को भूमि से बेदखल करने व अप्रार्थी पर भू राजस्व की 50 गुणा शास्ति अधिरोपित की गयी हैं के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।
2. अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता व प्रत्यर्थी की बहस सुनी गयी। वकील अपीलार्थी अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट की भूमि पर किसी प्रकार का रास्ता न तो मंजूर है ना ही मौका पर रास्ता चालू है इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं। आलौच्य आदेश विधिविपरीत हैं। अपीलार्थी के द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.05.2024 को आवेदन पेश किया गया था जिस पर दिनांक 14.06.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई हैं। प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की गयी हैं, जानबूझकर देरी नहीं की हैं। इसलिए अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने हेतु निवेदन किया। उक्त भूमि अपीलार्थी की खरीदशुदा हैं व काबिज काश्त हैं, यदि कोई रास्ता स्वीकृत किया भी हैं तो अपीलाण्ट को नहीं सुना गया हैं। उक्त मु.नं. के कि.नं. 1,10,11,20,21 में 4–4 बिस्वा रास्ता पहले से ही स्वीकृत है और रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता हैं। अपीलार्थी की भूमि में कोई रास्ता नहीं हैं, फिर भी प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी को भूमि से बेदखल किये जाने का विधिविरूद्ध आदेश पारित किया गया है। आलौच्य आदेश को अपास्त करने हेतु निवेदन किया।
3. प्रत्यर्थी निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा गै.मु. रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं इसलिए उनके विरूद्ध राज. उप. अधि. की धारा 22 के तहत

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)
जिला कलक्टर अनूपगढ़

कार्यवाही की गयी हैं जो विधि सम्मत हैं। अपील मियाद बाहर पेश की गयी हैं जबकि अपीलार्थी को आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही हैं। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा पटवार हल्का, 22ए ए को जारी बेदखली आदेश दिनांक 13.05.2024 की प्रमाणित प्रति पर तारीख प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2024 एवं तारीख नकल देने 14.06.2024 अंकित हैं। अपीलार्थी के द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.06.2024 को प्रस्तुत की हैं। अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती हैं।

5. अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट कि अपीलार्थी के द्वारा अपीलाधीन भूमि गै.मु. रास्ता पर तारबंदी व कि.नं. 21/3 में मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया हैं प्राप्त होने पर प्रकरण राज. उप. अधि. की धारा 22 के तहत दर्ज कर अपीलार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायलाय द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं। पटवारी रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के द्वारा गै.मु. रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं, अपीलार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं जिससे अपीलाधीन भूमि पर उनका कब्जा विधिसंगत प्रमाणित हो। राजकीय भूमि पर से अतिचारियों की बेदखली हेतु तहसीलदार सक्षम हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिपूर्ण हैं। न्यायालय की मत में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)